राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1999/2025

डॉ. देवेन्द्र कुमार शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 21.04.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण/पदस्थापन जिला चिकित्सालय, कोटपूतली, कोटपूतली–बहरोड़ में किया गया है। बहस के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी ने स्थानान्तरण आदेश की पालना में नव पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजस्थान सेवा नियम, के नियम 20 के उल्लंघन में किया गया है। अपीलार्थी की पत्नी भी राजकीय सेवा में कोटपूतली में कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थी को कोटपूतली में ही पदस्थापित रखा जाना चाहिए था।
3. हम पाते हैं कि अपीलार्थी ने चूंकि स्थानान्तरण आदेश की पालना में कार्यग्रहण कर लिया है। ऐसे में अब स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं पाते हैं। अपीलार्थी ने जो आधार इस अपील में उठाये हैं, उन आधारों पर अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिये सदैव स्वतंत्र रहेगा। इस आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष